102 गांव मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना में शामिल

मंत्रिमंडल के निर्णय

- स्वास्थ्य बीमा योजना पुरस्कार आरम्भ
- 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय
- आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 155 पद स्वीकृत
- खाद्य आपूर्ति विभाग के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति

शिमला, 27 अगस्त (का.प्र/पत्थरिया): प्रदेश की 102 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये पंचायतें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों की होंगी। इस परियोजना के तहत लाभार्थी ग्राम पंचायतों की संख्या 704 हो गई है तथा परियोजना की संशोधित लागत भी 510 करोड़ रुपए हो गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमंडल ने परियोजना की अवधि को भी 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 155 पद भी स्वीकृत किए। भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट को 45 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने कर निर्णय भी लिया गया। बैठक में आरम्भिक तौर पर चुने हुए 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर तीन से 6 महीने के दक्षता उन्नयन कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय दक्षता उन्नयन संस्थान (आई.आई.एस.डी.) द्वारा भारतीय उद्योग परिसं[illegible] (सी.आई.आई.) के सहयोग से व[illegible] 2017 तक अनुमानित तकनीकी दक्ष[illegible] की होने वाली 4.5 लाख की कमी को पूरा करने के उद्देश्य के सा[illegible] चलाए जाएंगे।

इन दक्षता उन्नयन कार्यक्रमों क[illegible] उद्देश्य कृषि आधारित उद्योग, लाइ[illegible] इंजीनियरिंग, जल विद्युत, आतिथ्[illegible] निर्माण व दवा उद्योग सहित अन[illegible] आवश्यकता आधारित विशेषज्ञ क्षेत्र[illegible] में कुशल तथा अकुशल श्रमशक्ति को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य संयुक्त रूप से हिमाचल (शेष पृष्ठ 2 कालम 3 प[illegible])

102 गांव मध्य...

प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, सी.आई.आई. और आई.आई.एस.डी. द्वारा किया जाएगा ताकि ये प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त रहें और प्रमाणपत्र धारकों को संबंधित उद्योगों में रोजगार प्राप्त हो सके।

इसके लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह कार्यशील होने पर वार्षिक तौर पर 12 हजार से 15 हजार अतिरिक्त श्रमशक्ति उपलब्ध करवाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना पुरस्कार आरम्भ करने का निर्णय लिया।

इस योजना के तहत उन 137 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने अपनी पंचायतों में शत-प्रतिशत स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड का लक्ष्य प्राप्त किया है। लाहौल घाटी की घोशाल ग्राम पंचायत ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है और इस पंचायत को 50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यूर नाथ पंचायत ने 96.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है और इस पंचायत को 25 हजार रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दिमूल पंचायत को 10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा।

चंबा जिला की राजपुरा तथा कोलका ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 37 हजार 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा जबकि भाटियां ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

10 जिलों की शेष 131 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी विकास खंडों को वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान से जोड़ने की स्वीकृति भी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने श्री नयना देवी जी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने को स्वीकृति दी ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पुनर्स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के माध्यम से नर्सिंग महाविद्यालय चलाने के लिए सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय को अपनाने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जनजातीय विकास विभाग के चंबा तथा कांगड़ा जिलों के कार्यालयों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर कम्प्यूटर आप्रेटरों के 2 पद स्वीकृत किए।

इस निर्णय से गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रह रही जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मंत्रिमंडल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त नियंत्रक (माप एवं तोल) के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की।